

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

2

क्रमांक-स-73-49/2007/20-3

श्रीधर, दिनांक 30/6/07

प्रति,

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
प्रति बिहार, नई दिल्ली।

विषय:- आतंकीय संस्था सरस्वती विद्या मंदिर मंदसौर
को ती.वी.स्त.ई/आई.टी.स्त.ई नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु
अनापत्ति प्रमाण पत्र देने बाबत।

=====

राज्य शासन द्वारा आतंकीय संस्था सरस्वती विद्या मंदिर
मंदसौर को ती.वी.स्त.ई/आई.टी.स्त.ई, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है:-

1. प्रदेश में शिक्षण की जो संस्थाएँ स्थापित हो चुकी हैं, उनका नाम प्रदेश के छात्रों एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल को मिल सकें इस हेतु संस्था की कार्यकारिणी में नए माध्यमिक शिक्षा मण्डल के प्रतिनिधि/अधिकारी को नामांकित किया जायेगा।
2. विभिन्न अल्पसंख्यक जातियों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं वैदिक कार्यक्रम तथा अन्य छात्र-शिक्षकों की गतिविधियों के लिये खेल का मैदान छात्रावास भवन कक्षा आदि आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेगा। इस हेतु संस्था के दायन पत्र लिखा जायेगा।
3. इस संस्थाओं के संरक्षण में अन्तिमिता की शिवाय प्राप्त होने पर विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का निरीक्षण/जांच करने का अधिकार होगा।

निरन्तर-2 पर

4. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्ड से सम्बन्धिता मिलने के उपरान्त भी म.प्र. राज्य शासन या लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा समय-समय पर शिक्षा के प्रबंध एवं विकास के संबंध में जारी निर्देशों का पालन करने का निवेदन-पत्र संस्था से प्राप्त किया जायेगा।
5. संस्था की प्रबंध कारिणी समिति में म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी समिति में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा।
6. प्रदेश के खेल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान मेला का आयोजन आदि में सहयोग एवं तार्थिक भूमिका प्रदान करेंगे।
7. आवासीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रदेश स्तरीय निम्न प्रक्रिया तथा निर्धारित शुल्क दिया-समय प्रकाशित किये जायेंगे। शिक्षण शुल्क लेने में पत्रों का शेषन नहीं किया जायेगा।
8. छात्र-छात्राओं को शालाओं में लगने वाले पुस्तकें एवं लेखन सामग्री छूटी बाजार से रूप करने की सुविधा रहेगी। फिती दुकान विशेष से रूप करने की व्यवस्था नहीं रहेगी।
9. शिक्षण संस्थाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार क्रियाशील अग्नि शमन संकों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षिक संस्थाओं के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन संस्थाओं को करना होगा।
10. संस्था के छात्रों को उनके निवास से विद्यालय तक लाने एवं वापस लाने तक भेजने के लिये परिवहन विभाग द्वारा दी गई अनुमति प्राप्त एवं वाहन वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इसका उपयोग किये जाने वाले वाहनों को फिती भी सेल-ज्वलनशील साधन जैसे घरेलू स्ल. पी. जी. आदि से संयोजित नहीं किया जायेगा।

निम्न 3-2-8

जाति 2-1-8

11. निःशक्त छात्रों के लिये संस्था की रेम्प की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। कोई भी संस्था निःशक्त छात्रों को प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगी। इस संबंध में प्राप्त शिकायत यदि सिद्ध पाई गई तो संस्था का अनापत्ति प्रभाव-पत्र समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

12. संस्था के पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेद-भाव तथा ताम्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले किन्हीं पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जायेगा और भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकें भी नहीं रखी जा सकेंगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

§ २०२२० बगारे §
अवर सचिव

म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

२०२०-२२-७३-५१ / २००७/२०-३
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक ३०-६-०७

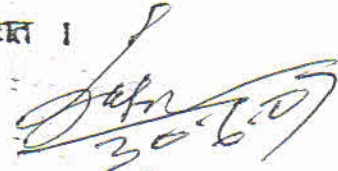
1. आइएल, लोक शिक्षण संस्थानालय, म. प्र. भोपाल।

2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला

3. प्राचार्य, आर्य समाज शिक्षण संस्था

4. आर्डर बुक।

की ओर सुवर्णार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अधिसूचित।



अवर सचिव

म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग